दिनांक 09.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा आनलाइन साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 2,200/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते वापस करायी गयी

अवगत कराना है कि दिनांक 01.09.2025 को पीडित श्री अंकुर परमार निवासी ग्राम शेरपुर शाहपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर जानकारी दी गयी कि उनके साथ साइबर ठगी के माध्यम से कुल 2200/- रूपये का फ्राड किया गया। आवेदक की शिकायत पर आनलाइन साइबर पार्टल पर **शिकायत सं0 33109250108158** पंजीकृत करायी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व फ्राड में गयी धनराशि को पीडितो के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे थाना गागलहेडी साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित के खाते से ठगी गयी **कुल 2200/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में** वापस करायी गयी है। पीडित द्वारा अपनी शतप्रतिशत धनराशि खाते में वापस पाकर थाना गागलेहडी साइबर हेल्पडेस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. कम्प्यूटर आपरेटर सन्नी सोम थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
3. का0 1679 नवीन राठी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
4. का0 577 मोहित गर्ग थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये तथा साइबर अपराध होने पर थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर के सीयूजी मो0न0- 7839876635 व साईबर सैल के सीयूजी नम्बर 7417754148 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त करें।

दिनांक- 09.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये इनवर्टर व बैट्रा बरामद

अवगत कराना है कि **दिनांक 07.09.2025 को वादी श्री धीर सिह पुत्र ज्योतिराम निवासी ग्राम भोजपुर तगा थाना चिलकाना, सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा सूअर फार्म से एक इन्वेन्टर, बैट्रा व एलईडी चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 224/25 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया व **दिनांक 05.08.2025 को वादी अब्दुल कादिर पुत्र हाफिज अब्दुल रहीम निवासी ग्राम बुड्ढा खेडा थाना चिलकाना, सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की लकडी की फैक्ट्री से मशीन के पार्टस व बिजली का सामान चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-184/2025 धारा 303(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया व **दिनांक 15.07.2025 को वादी श्री सतीश कुमार पुत्र अन्तुराज निवासी ग्राम अहाडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी व चन्द्रपाल पुत्र रामस्वरूप के खेत से समरसिबल का 45 मीटर केबल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-159/2025 धारा -303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा नकबजनी/चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 09.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों मे चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए **01 शातिर चोर/अभियुक्त मारुफ पुत्र फारुख नि0 ग्राम संगमौर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को गांव नल्हेडा की ओर जाने रास्ते पर डम्पिंग ग्राउंड के आगे आम के बाग में टयूबवैल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर चोरी गया 01 इनवर्टर (माइक्रोटैक कम्पनी) व 01 बैट्रा लूमिनस कम्पनी (सम्बन्धित मु0अ0सं0-224/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ विवरण – अभियुक्त मारुफ उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने और मेरे साथी ने मिलकर पहले भी कई जगह टयूबवैलों पर और एक लकडी की फैक्ट्री में से चोरी की थी जिसमें हमने दिनांक 13/14-07-25 की रात्रि में गांव अब्दुल्लापुर अहाडी के खेतों में दो अलग अलग टयूबवैलों से सबमर्सिबल की मोटर की केबल काटकर चोरी की थी। जिसको मैंने और मेरे एक साथी ने घूमते फिरते कबाडी को बेच दिया था उससे जो पैसे हमें मिले थे हम दोनों ने आपस में बाँट लिये थे, जो मैने खर्च कर दिये और दिनांक 4/8/25 की रात में मैंने और मेरे एक साथी ने मिलकर चिलकाना स्थित साईफन पुलिया से गांव बुडढाखेडा जाने वाले रास्ते पर सडक किनारे स्थित लकडी की फैक्ट्री से जनरेटर से तांबे का तार और बिजली का कुछ सामान चोरी किया था उसको भी हम दोनों ने घूमते फिरते कबाडी को बेच दिया था और जो पैसे मिले थे वो मैंने और मेरे एक साथी ने आपस में बांट लिये थे। जिसको हमने अपनी मौज मस्ती पर खर्च कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1- मारुफ पुत्र फारुख नि0 ग्राम संगमौर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

अभियुक्त मारुफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-224/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0स0-184/2025 धारा 303(ए) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0स0-159/2025 धारा -303(2) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0स0-184/21 धारा -4/25 आर्मस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
5. मु0अ0स0-258/21 धारा -63 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर
6. मु0अ0स0-180/23 धारा -380/411/457 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
7. मु0अ0स0-150/21 धारा -4/25 आर्मस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्री अकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. का0 2251 जितेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः **09.09.2025**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 09.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **01 वारन्टी अभियुक्त जगपाल पुत्र सुखवीर सिंह निवासी कृष्णाधाम कालोनी सराय रोड थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को सम्बन्धित परिवाद स0- 5555/23 धारा 138 एनआई एक्ट नियत तिथि 17.09.25 (माननीय अतिरिक्त न्यायालय सहारनपुर) में कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. जगपाल पुत्र सुखवीर सिंह निवासी कृष्णाधाम कालोनी सराय रोड थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

अभियुक्त इलियास उपरोक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. है0का0 1258 विकास कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
4. है0का0 1063 शान मौहम्मद थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 05 वांछित अभियुक्तों गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.09.2025 को वादी अबरार पुत्र लियाकत नि0 मौहल्ला नदीम कटहल कालौनी खाताखेडी थाना मंडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. शारिक पुत्र शौकत, 2. समद पुत्र शौकत, 3. सुहैल पुत्र शौकत, 4.शौकत पुत्र नामालूम, 5.मोहसीन पुत्र नूरमौहम्मद, 6.तासीम पुत्र लीमू उर्फ अलीमुद्दीन, 7.जरीफ पुत्र काला, 8. चुन्नू उर्फ फैसल पुत्र जरीफ, 9. सुहैब पुत्र नूरमौहम्मद,10. मुस्कीम पुत्र नानू, व 11. नबाब समस्त निवासीगण मुस्तफाबाद थाना मंडी सहारनपुर द्वारा वादी व वादी के मौहल्ले के शफाकत अली पुत्र रिफाकत अली, अफजाल पुत्र लियाकत व गुलजार पुत्र लतीफ व कैफ पुत्र परवेज के साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से हमला करने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0- मु0अ0सं0- 359/2025 धारा 109(1)/190/191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाँछित चल रहे **05 अभियुक्तगण 1. मुस्तकीम पुत्र नानू निवासी मुस्तफाबाद कॉलोनी खाता खेड़ी थाना मंडी 2. मोहसिन पुत्र नूर मोहम्मद निवासी मुस्तफाबाद कॉलोनी खाता खेड़ी थाना मंडी जनपद सहारनपुर 3.सुहेल पुत्र शौकत निवासी मुस्तफाबाद कॉलोनी खाता खेड़ी थाना मंडी 4. सारिक पुत्र शौकत निवासी मुस्तफाबाद कॉलोनी खाता खेड़ी थाना मंडी 5.नवाब पुत्र नूर मोहम्मद निवासी मुस्तफाबाद कॉलोनी खाता खेड़ी थाना मंडी जनपद सहारनपुर** को वाल्मीकि कालोनी के पास कब्रिस्तान के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. मुस्तकीम पुत्र नानू निवासी मुस्तफाबाद कॉलोनी खाता खेड़ी थाना मंडी
2. मोहसिन पुत्र नूर मोहम्मद निवासी मुस्तफाबाद कॉलोनी खाता खेड़ी थाना मंडी जनपद सहारनपुर
3. सुहेल पुत्र शौकत निवासी मुस्तफाबाद कॉलोनी खाता खेड़ी थाना मंडी
4. सारिक पुत्र शौकत निवासी मुस्तफाबाद कॉलोनी खाता खेड़ी थाना मंडी
5. नवाब पुत्र नूर मोहम्मद निवासी मुस्तफाबाद कॉलोनी खाता खेड़ी थाना मंडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 02 कमल कौशिक थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. है0का0 477 विनोद पंवार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
5. का0 2245 अंशु यादव थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
6. का0 1627 अमित कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
7. का0 2241 अनिल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:09.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2025 को मुखबिर की सूचना थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त मरगूब पुत्र महमूद हसन निवासी चांद कालोनी निकट जाकिर डेरी वाले हबीबगढ रोड गली न0- 4 थाना मण्डी सहारनपुर** को अन्तर्गत धारा 125(3) सीआरपीसी में थाना क्षेत्र मण्डी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मरगूब पुत्र महमूद हसन निवासी चांद कालोनी निकट जाकिर डेरी वाले हबीबगढ रोड गली न0- 4 थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र नागर थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 345 फारुख अली थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 10 विपिन पंवार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 09.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त अरूण पुत्र सुभाष निवासी देवपुरम गोपालनगर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0- 7232/25 व मु0अ0स0 94/15 धारा 379/411 भादवि नियत तिथि 09.09.25 (माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर) में कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अरूण पुत्र सुभाष निवासी देवपुरम गोपालनगर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

अभियुक्त इलियास उपरोक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राजकमल थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. है0का0 907 तरूण कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. का0 1354 अभिषेक कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
4. है0का0 1194 कपिल राठी थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
5. है0का0 406 अमित धामा थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 09.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर वाहन चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही पर चोरी की 06 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 11.07.2025 को थाना सरसावा पर वादी श्री सतपाल पुत्र मंगल निवासी ग्राम माजरी कला थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी की मोटरसाईकिल हीरो स्पलेन्डर नम्बर यू0पी0 11 बी जैड 8861 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0स0 252/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। तथा दिनांक 07.09.25 को वादी श्री योगेश कुमार पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बुढेडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर की तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो0सा0 UP 11 BD 4084 स्पलेण्डर को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 368/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। दोनो अभियोगो की विवेचना उ0नि0 ललित कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विवोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.09.2025 को दौराने चैकिंग सदिग्ध व्यक्ति वाहन मे थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर वाहन चोर/**अभियुक्तगण 01.विकास उर्फ झण्डू पुत्र अमर सिंह नि0 ग्राम शहाजहापुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर 02. मोहित उर्फ मुत्तु पुत्र रामू नि0 ग्राम शहाजहापुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को शांतिधाम वाले रास्ते पर मदर टेरैसा स्कूल से लगभग 30 कदम आगे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशांदेही पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी गयी दो मोटर साईकिल तथा चोरी की 04 अन्य मोटरसाईकिलस मदर टेरेसा स्कूल के पास आम के बाग मे बने कमरे मे छुपा कर रखी गयी चोरी की जिनमे से 03 मो0सा0 यमुनानगर हरियाणा से अलग अलग जगह से व एक मो0सा0 सहारनपुर से चोरी की गयी बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।गिरफ्तार अभियुक्त अभयस्त किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना सरसावा पर चोरी व अन्य अपराधों में 04 मुकदमें पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवशयक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते पैसो के लालच में हम दोनो एक साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और फिर चोरी की गयी मोटरसाइकिलों को सस्ते दाम में बेच देते हैं,जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। हम दोनो ने मिलकर करीब दो महीने पहले एक मोटरसाइकिल एकता कम्प्यूटर सेन्टर, कस्बा सरसावा के पास से चोरी की थी, तथा एक मो0सा0 शमशान घाट के सामने गौतमबुद्धनगर कालोनी कस्बा सरसावा से तीन चार दिन पहले चोरी की थी। जिन्हे हम दोनो दिनांक 08.09.25 की रात्रि को बेचने के लिए जा रहे थे,तभी अचानक चैकिंग के दौरान पुलिस ने हमें पकड़ लिया। इसके अलावा हम दोनो ने सहारनपुर व हरियाणा क्षेत्र से जो 04 अन्य

मोटरसाइकिल चोरी की थी, उन मो0साईकिलो हमने मदर टेरेसा स्कूल के पास आम के बाग मे बने कमरे मे छुपा रखा था,जहाँ से हमने सभी मोटरसाइकिलों को पुलिस को बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01.विकास उर्फ झण्डू पुत्र अमर सिंह नि0 ग्राम शहाजहापुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर

02.मोहित उर्फ मुत्तु पुत्र रामू नि0 ग्राम शहाजहापुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त विकास उर्फ झन्डू का आपराधिक इतिहास-

01 मु0अ0स0 253//25 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना सरसावा

02 मु0अ0स0 368/25 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना सरसावा

गिरफ्तार अभियुक्त मोहित उर्फ मुत्तु का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 253//25 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना सरसावा

2.मु0अ0स0 368/25 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना सरसावा

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोटर साईकिल हीरों स्लेण्डर प्लस (बिना नम्बर प्लेट)
- 01 मोटर साईकिल हीरों स्लेण्डर प्लस (बिना नम्बर प्लेट)
- 01 मोटर साईकिल हीरों स्लेण्डर प्लस (बिना नम्बर प्लेट)
- 01 मोटर साईकिल हीरों स्लेण्डर प्लस (बिना नम्बर प्लेट)
- 01 मोटर साईकिल हीरों स्लेण्डर प्लस (बिना नम्बर प्लेट)
- 01 मोटर साईकिल **सीड़ी डीलक्स** (बिना नम्बर प्लेट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थानाध्यक्ष थाना सरसावा सहारनपुर
2. उ0नि0 ललित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. है0का0 661 सम्राट सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. का0 96 विक्रान्त कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
7. का0 1997 विनीत कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 09.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 केबिल के टुकडे, 02 जोडी पाजेब (सफेद धातु), 02 जोडी बिछवे (सफेद धातु), 7000/- रुपये नकद, 01 प्लास, 02 छैनी, 02 चाबी व 01 मोटरसाईकिल स्पलैण्डर बरामद

अवगत कराना है कि **दिनांक 24.08.2025 को वादी** मुन्तजीर पुत्र जमील ग्रा0 रजापुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी की ट्यूबवेल से अज्ञात चोरो स्टार्टर व कटाउट के तार चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 204/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया **तथा दिनांक 24.08.2025 को वादी** शमशाद पुत्र नजीर निवासी खेडा कालोनी वार्ड न0 06 छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा घर मे घुसकर अलमारी में रखे 02 कपडे वाली पेटी व सोने के जेवरात, गले का हार, कगन, कुडल, चांदी की 02 जोडी पाजेब व 55000/- रुपये चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 205/25 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 09.9.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटनाओं का सफल अनवरण करते हुए **अभियुक्त आरिफ पुत्र खलील निवासी ग्राम जलालपुर थाना सिविल लाईन रुडकी हरिद्वार** को फतेहपुर बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 05 केबिल के टुकडे, 02 जोडी पाजेब (सफेद धातु), 02 जोडी बिछवे (सफेद धातु), 7000/- रुपये नकद, 01 प्लास, 02 छैनी (सम्बन्धित मु0अ0स0 204/2025 धारा 305ए बीएनएस) तथा 02 लोहे की चाबी व 01 मोटरसाईकिल स्पलैण्डर (UK08-L0443) (सम्बन्धित मु0अ0स0 205/2025 धारा 331(4),305 ए बीएनएस) बरामद हुए। गिरफतारी व बरमदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफअतार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आरिफ पुत्र खलील निवासी ग्राम जलालपुर थाना सिविल लाईन रुडकी हरिद्वार।

बरामदगी का विवरणः-

- 05 केबिल के टुकडे
- 02 जोडी पाजेब (सफेद धातु)
- 02 जोडी बिछवे (सफेद धातु)
- 7000/- हजार रुपये नकद
- 01 प्लास, 02 छैनी व 02 लोहे की चाबी
- 01 मोटरसाईकिल स्पलैण्डर UK08-L0443

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. उ0नि0 शेषपाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. उ0नि0 सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर।
4. उ0नि0 संजल थाना फतेहपुर सहारनपुर।
5. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।
6. हैड का0 961 रोहित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 09.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन क्लीन" के तहत माल मुकदमाती कुल 27 वाहनो (दो पहिया/चार पहिया/टैम्पो/कैन्टर) की नीलामी कराकर कुल 8,26,000/- रुपये की धनराशि जीएसटी सहित राजकोष में जमा करायी जायेगी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे "आपरेशन क्लीन" के तहत पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नकुड श्री एस0एन0 वैभव पाण्डेय एवं श्री जितेन्द्र कुमार नायाब तहसीलदार व श्री रोहित कुमार सिंह निरीक्षक टैक्निकल आरटीओ कार्यालय सहारनपुर के कुशल नेतृत्व एवं प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन श्री सतेन्द्र नागल व हेड मोहर्रिर मदनजीत थाना रामपुर मनिहारान की मौजूदगी में मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना रामपुर मनि0 पर माल मुकदमाती कुल 27 वाहन (18 मोटरसाइकिल,02 टैम्पो तीन पहिया, 06 कार (04 पहिया), 01- ट्रक कैन्टर) जिनकी आरटीओ कार्यालय द्वारा न्यूनतम मूल्यांकन धनराशि- 1,99,600 रुपये निर्धारित की गयी थी । नीलामी की कार्यवाही के क्रम में थाना रामपुर मनिहारन पर नियमानुसार नीलामी करायी गयी । जिसमें कुल 56 बोली दाताओं द्वारा भाग लेकर बोली लगायी गयी । बोली दाता साहबान पुत्र तैय्यब निवासी- मौहल्ला किला, थाना देवबन्द सहारनपुर द्वारा उच्चतम धनराशि की बोली 7,00,000/- रुपये लगायी गयी । दूसरे नम्बर पर शाहबाद पुत्र खुर्शीद निवासी मौहल्ला महल कस्बा व थाना रामपुर मनि0 द्वारा 6,60,000/- बोली लगायी गयी । उच्चतम बोली दाता के हक में नीलामी छोडी गयी। सर्वाधिक बोलीदाता द्वारा नीलामी की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत 1,75,000/- रुपये जमा किया गया । नीलामी की कुल 08,26,000/- रुपये 18 प्रतिशत जीएसटी सहित राजकोष में जमा करायी जायेगी । नीलामी कराकर कुल 27 लावारिस वाहनो का निस्तारण कराया गया ।

वाहन नीलामी का विवरणः-

- 18 मोटर साइकिल
- 02 टैम्पो तीन पहिया
- 06 कार (चार पहिया)
- 01 ट्रक आयशर कैन्टर

नीलामी कराने वील टीम का नाम—

1. श्री एस0एन0 वैभव पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नकुड सहारनपुर ।
2. श्रीमान जितेन्द्र कुमार नायाब तहसीलदार तहसील रामपुर मनि0 सहारनपुर ।
3. श्री रोहित कुमार, निरीक्षक टैक्निकल आरटीओ कार्यालय सहारनपुर
4. श्री सतेन्द्र कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर मनि0 स0पुर ।
5. है0का0 190 मदनजीत थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर ।